



22 मार्च 2023

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

सन्दर्भ:

- हाल ही में पंजाब एडवोकेट ने कहा कि स्वयंभू सिख उपदेशक ई-रन वाणि अमृतपाल सिंह के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है।



राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है।
- एनएसए "राज्य को बिना किसी औपचारिक आरोप और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है"।
- अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को "राज्य की सुरक्षा" या "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए किसी भी तरह के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।
- यह मंडल आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश है।
- यह विशिष्ट आरोपों के आधार पर या कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का आदेश नहीं है।
- अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी जिलाधिकारी उसके खिलाफ रासुका लगा सकता है।
- अगर किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, तो उन्हें एनएसए के तहत तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।
- अगर व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है, तो उसी व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
- यह कानून किसी व्यक्ति के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के संवैधानिक

- नज़रबंदी के आधार: NSA को किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए लागू किया जा सकता है।
- इसे किसी व्यक्ति को दूसरों के समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए भी लागू किया जा सकता है।
- किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है।
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बिना उनके खिलाफ आरोप बताए 10 से 12 दिनों तक रखा जा सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण :

- एनएसए के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा अनुच्छेद 22(5) के तहत दी गई है।
- हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।
- बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं और बोर्ड की अध्यक्षता एक ऐसे सदस्य द्वारा की जाती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है।
- निरोध आदेश पारित करने वाले डीएम को अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है -





22 मार्च 2023

अधिकार पर रोक लगता है, यह मामला तब होता है जब आरोपी पुलिस हिरासत में होता है।

- हिरासत में लिए गए व्यक्ति को फौजदारी अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दायर करने का भी अधिकार नहीं है।

आदेशों को पूरा करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।



सामरिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाएं

सन्दर्भ:

- हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने कहा है कि देश में स्थापित एसपीआर सुविधाओं की वर्तमान क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है।

मुख्य विशेषताएं:

- इससे कच्चे तेल की लगभग 9.5 दिनों की आवश्यकता पूरी होने का अनुमान है।
- इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों के पास उपलब्ध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की भंडारण क्षमता अप्रैल-दिसंबर 2022 से शुद्ध तेल आयात के आधार पर एसपीआर की क्षमता सहित 77 दिनों का अनुमानित स्टॉक प्रदान कर सकती है।
- तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक नीतिगत पहलें की गई हैं।
- इसमें डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी-2015, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016, कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, मौजूदा खोजों का प्रारंभिक मुद्रीकरण, बीमार कुओं का पुनरुद्धार, मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों का विकास या सीमांत क्षेत्र, आदि
- इसमें डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी-2015,

- देश के भू-वैज्ञानिक डेटाबेस को मजबूत करने और निवेशकों या संस्थानों तक अन्वेषण और उत्पादन डेटा पहुंच की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी भी स्थापित की गई है।

सिक वेल क्या है?

- तेल और गैस उद्योग के संदर्भ में, एक "सिक वेल" एक ऐसे स्रोत को संदर्भित करता है जो किसी प्रकार की परिचालन या तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है।
- इसमें ड्रिलिंग कठिनाइयों, उत्पादन समस्याओं, उपकरणों की खराबी या अन्य चुनौतियों जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं जो स्रोत के प्रदर्शन और उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं।
- जब कोई स्रोत "पुराना" हो जाता है, तो इसकी उत्पादकता को बहाल करने के लिए ऑपरेटरों से इस मुद्दे को हल करने और अतिरिक्त ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
- इसमें रखरखाव कार्य, उपकरण मरम्मत या प्रतिस्थापन या ड्रिलिंग या उत्पादन प्रक्रियाओं में

Face to Face Centres



22 मार्च 2023

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016, कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, मौजूदा खोजों का प्रारंभिक मुद्रीकरण, पुराने स्रोतों का पुनरुद्धार, मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों या सीमांत का विकास शामिल है।

परिवर्तन जैसे विभिन्न हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं।

इंटरपोल

सन्दर्भ:

- भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) वापस लेने के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण आयोग (सीसीएफ) से इसे बहाल करने की अपील की।

इंटरपोल के बारे में:

- इंटरपोल, एक अंतर-सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है।
- इसकी स्थापना 1923 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय- ल्योन, फ्रांस में है।
- **सदस्य:** इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं, जो इन सभी देशों में पुलिस बलों को अपने कार्यों का बेहतर समन्वय करने में मदद करता है।
- भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **उद्देश्य:** इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाना और कई तकनीकी और परिचालन में सहायता प्रदान करना है।
- **कार्यप्रणाली:** इंटरपोल सचिवालय संगठन की दिन-प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों का समन्वय करता है।
- इंटरपोल के प्रत्येक सदस्य देश में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) है।



- इंटरपोल के पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

रेड कॉर्नर नोटिस :

- न्याय से बचने के लिए अपराधी या संदिग्ध अक्सर दूसरे देशों में भाग जाते हैं।
- एक रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस (आरएन) दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं।
- आरएन में ऐसी जानकारी होती है जो वांछित व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करती है, जैसे कि उनके नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रियता, और शारीरिक विशेषताएं जैसे कि उनके बालों और आंखों का रंग, साथ ही चित्र और बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट (यदि वे उपलब्ध हो) आदि होते हैं।
- आरएन उन अपराधों का भी उल्लेख करते हैं जिनके लिए वे वांछित हैं।
- एक आरएन केवल एक अंतरराष्ट्रीय वांछित व्यक्तियों का नोटिस है; यह एक अंतरराष्ट्रीय



INTERPOL

Face to Face Centres





22 मार्च 2023

- एनसीबी, सचिवालय और दुनिया भर के अन्य एनसीबी दोनों के लिए संपर्क का सामान्य केंद्रीय बिंदु है।
- इंटरपोल रंग-कोडित 'नोटिस' चार भाषाओं - अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में होती है।

गिरफ्तारी वारंट नहीं है।

संक्षिप्त सुर्खियां

नियम 357, लोकसभा में कार्य संचालन



सन्दर्भ:

- हाल ही में, एक राजनीतिक दल के नेता ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सरकार और सत्तारूढ़ दल द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर निचले सदन (लोकसभा) में बोलने की अनुमति मांगी।
- उन्होंने कहा कि लोकसभा में नियम और प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 357 उन्हें संसद में आरोपों का जवाब देने की अनुमति देता है।

नियम 357:

- नियम 357, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों में 'सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम' खंड के अंतर्गत, 'व्यक्तिगत स्पष्टीकरण' के लिए है।
- इसमें कहा गया है "एक सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है, हालांकि सदन के सामने कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इस मामले में कोई बहस योग्य मामला सामने नहीं लाया जा सकता है और कोई बहस नहीं होगी।"

थंथर्ई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य



सन्दर्भ:

- हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने थंथर्ई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है, जो राज्य में 18वां वन्यजीव अभयारण्य होगा।

मुख्य विशेषताएं:

- यह इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपलयम तालुक के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
- अभयारण्य स्तनधारियों की 21 प्रजातियों, पक्षियों की 136 प्रजातियों और हाथियों, तेंदुओं, जंगली सूअर, गौर और हिरण सहित तितलियों की 118 प्रजातियों का निवास है।
- नए वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना से क्षेत्र में जनजातीय समुदायों के कार्यों में

Face to Face Centres



22 मार्च 2023

बाधा नहीं आएगी और इन संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

- यह अधिसूचना वन्य जीवन के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी, संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देगी और बारगुर पहाड़ी क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करेगी।
- थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना एशियाई हाथी संरक्षण और क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)



सन्दर्भ:

- हाल ही में, श्रीलंका के 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट के अनुरोध को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पिछले साल रिकॉर्ड 7.8% तक पहुँच गई जो 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से अपने सबसे खराब विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रही थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में:

- आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक के साथ की गई थी।
- इसका मुख्यालय - वाशिंगटन, डी.सी. में स्थित है।
- इसमें 190 देश शामिल हैं।
- यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है।

भागीदारी के क्षेत्र:

- विनिमय दर, मुद्रा, तरल संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार।
- भुगतान संतुलन कठिनाइयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- प्रकाशन: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक, क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक, प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023

सन्दर्भ:

- हाल ही में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023 जारी किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।

Face to Face Centres





22 मार्च 2023




- भारत आतंकवाद के "उच्च" प्रभाव वाले देशों में 13वें स्थान पर सूचीबद्ध है।
- भारत 25 सबसे बुरी तरह से आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक था और 120 देशों में से 56 देशों में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें कोई भी युद्ध और आतंक को अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में नहीं चुन रहा था।
- पाकिस्तान में आतंकवाद के परिणामस्वरूप मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 643 हो गई, जो कि पिछले वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है।
- आतंकवाद के सभी प्रभाव क्षेत्रों में से कम से कम 55% सैनिक थे।
- दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है।
- विश्व स्तर पर, आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की गिरावट आई है और यह 6,701 मौतों पर आ गई है, जो 2015 में अपने चरम से 38% कम है।

रिपोर्ट के बारे में:

- GTI रिपोर्ट को टेररिज़्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग करके थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा तैयार किया गया है।
- यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) का दसवां संस्करण है।
- यह रिपोर्ट पिछले एक दशक में आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों और पैटर्न का एक व्यापक सारांश प्रदान करती है।
- जीटीआई स्कोर की गणना न केवल मौतों बल्कि घटनाओं, बंधकों और आतंकवाद से होने वाली चोटों पर भी विचार करती है, जो पांच साल की अवधि में होती है।
- रिपोर्ट आतंकवाद के प्रभाव पर 163 देशों (दुनिया की आबादी का 99.7%) को रैंक करती है।

बेबेसियोसिस



सन्दर्भ:

- बेबेसियोसिस, लाल रक्त कोशिकाओं के परजीवी संक्रमण के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो मुख्य रूप से संक्रमित परजीवी के काटने से फैलती है, कुछ अमेरिकी राज्यों में कई वर्षों से चिंता का विषय रही है।

मुख्य विशेषताएं:

- हाल के शोध से पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें मेन, न्यू हैम्पशायर और वरमोंट सबसे नए मामले हैं।
- सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और थकान शामिल हैं, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में जानलेवा बीमारी हो सकती है।

Face to Face Centres



22 मार्च 2023

- टिक विकर्षक का उपयोग करने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने सहित रोकथाम के लिए आमतौर पर उपचार में महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स शामिल होता है।

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद

GCC - Gulf Cooperation Council



सन्दर्भ:

- हाल ही में भारत-खाड़ी सहयोग परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का पहला सत्र आज सउदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने भारत-जीसीसी देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।
- दोनों पक्ष भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द अंतिम रूप देने के लिए भी सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने भारत और जीसीसी देशों के बीच सहयोग के विशेष क्षेत्रों को पूरा करने के लिए संयुक्त कार्य समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा।
- इन संयुक्त कार्य समूहों की अध्यक्षता विशेषज्ञ करेंगे और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नियमित और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ व्यापार ब्लॉक के रूप में GCC भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में:

- खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 1981 में इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- जीसीसी के मुख्य उद्देश्यों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, राजनीतिक समन्वय में सुधार करना और क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।
- यह अपने सदस्य राज्यों के बीच बुनियादी ढांचे, मुक्त व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय मौद्रिक संघों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

एलवीएम3

सन्दर्भ:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन के

Face to Face Centres



22 मार्च 2023



लिए 26 मार्च 2023 को अपना सबसे बड़ा रॉकेट LVM3 लॉन्च करेगा।

मुख्य विशेषताएं:

- यह 5,805 किलोग्राम के कुल द्रव्यमान के साथ 36 वनवेब जेन-1 उपग्रहों को 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा।
- वनवेब का लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के समूह के माध्यम से अंतरिक्ष से उच्च गति, कम विलंबता इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- LVM3 तीन चरणों वाला वाहन है। इसमें पहले चरण के रूप में दो S200 ठोस मोटर, दूसरे चरण के रूप में L110 जुड़वां तरल इंजन और अंतिम C25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है।
- इसके क्रायोजेनिक चरण को विशिष्ट रूप से ओर्थोगोनल दिशा में ओरिएंट और री-ओरिएंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि टकराव से बचने के लिए ठीक से और अंतराल के साथ उपग्रहों को इंजेक्ट करने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- यह आगामी मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा एनएसआईएल (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड) के माध्यम से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन ग्राहकों की समय-सीमा को पूरा करना है जिनके उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं।
- **राजस्व सृजन:** वनवेब ने कुल 72 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए NSIL और ISRO के साथ एक समझौता किया जिससे इसरो को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

**स्वास्थ्य का
अधिकार विधेयक
2022**



सन्दर्भ:

- हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, जिससे यह ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- बिल राजस्थान के लोगों को बिना किसी पूर्व भुगतान के निजी अस्पतालों में आपातकालीन देखभाल का अधिकार देता है और यदि वे बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी।
- हालांकि, निजी अस्पताल और डॉक्टर बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका दावा है कि यह "कठोर" है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों पर

Face to Face Centres



22 मार्च 2023

जुर्माना लगाया गया है। इस विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर निजी डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिला है।

- उनके विरोध के बावजूद, विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

